

303

ब्रा० ३८०२ / २०१८ / शुभमी/भू-रा०

पृ० २७

## न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

अवेदक गां पी भोटे  
ती आट के चेप पाठेप एक दूरा  
चेप किपा ग्वा ०८-०६-१३



- कानूनी जीकर्ता०  
राजस्व मण्डल म०प्र० न्यायालय  
(म॒०१८ कोटि) रोगा
- 1— इन्नेलाल विश्वकर्मा पिता स्व० नान्हक विश्वकर्मा
  - 2— रामलल्लू विश्वकर्मा पिता स्व० नान्हक विश्वकर्मा
  - 3— रामसजन विश्वकर्मा पिता स्व० नान्हक विश्वकर्मा सभी निवासी ग्राम जरहा, तह० जिला सिंगरौली म०प्र०

निगरानीकर्तागण / आवेदकगण

बनाम्

- 1— रामनारायण सिंह तनय शिवरतन सिंह
- 2— रामप्रसाद सिंह तनय शिवरतन सिंह
- 3— इन्द्रपाल सिंह तनय छोटन सिंह
- 4— इन्द्रजीत सिंह तनय छोटन सिंह
- 5— फूलमति पत्नी जीतन सिंह
- 6— चन्द्रदेव सिंह तनय जीतन सिंह
- 7— उमादत्त विश्वकर्मा पिता बुधई लोहार
- 8— रामाधार विश्वकर्मा पिता रामनाथ लोहार सभी निवासी ग्राम जरहा, तह० व जिला सिंगरौली (म०प्र०)

गैरनिगरानीकर्तागण / अनावेदकगण

न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय बैठन जिला सीधी म०प्र० के प्रकरण कमांक 39/निगरानी/99-2000 आदेश दिनांक 14.02.2000 के विरुद्ध निगरानी निगरानी अंतर्गत धारा 50 म०प्र०भू-राजस्व संहिता 1959

### महोदय

मामले का संक्षिप्त सार इस प्रकार है :-

निवेदन है कि आराजी नं० ८२०/२/ख रकवा ०.२०२ है मौजा जरहा, तहसील व जिला सिंगरौली म०प्र० के भूमिस्वामी व अधिपत्यधारी निगरानीकर्तागण है एवं आराजी नं० ८२०/१/ख रकवा

— दृष्टि लाल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश राजालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक नंगा ३६८२/१०१४/५०१ जिला—निगरानी

इन्डेलाल विरुद्ध रामगारापथ

(1)	(2)	(3)
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री.भास्कर के देव पटेल अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला... ३६८१० के प्रकरण क्रमांक २९/ नंगा ०९-१० में पारित आदेश दिनांक १५-१-२००० के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक १६-४-१९ को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	